4-2-25

[कार्]यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[प्रार्थ]ना–पत्र संख्या :–8 / RS / 2024 दायर दिनांकः 14.05.2024

GCMS NO:- 2024/76

पीठासीन अधिकारीः– प्रीति मीना

1. जगदीश आ0 रामधन जाति बैरवां निवासी ग्राम दुगारी ग्राम पंचायत दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राज्य सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बून्दी (राज0)

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251(ए) आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरेश कुमार मीना

अप्रार्थीगण की ओर से पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 04.03.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी पटवार मण्डल दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 में भूमि खाता संख्या 912 की भूमि खसरा संख्या 5089 / 1286 रकबा 0. 5861 हैक्टयर स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार कृषक है व काबिज काश्त चला आ रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में जाने का एक मात्र अर्वाचीन रास्ता नैनवां से दुगारी जाने वाले डामर रोड से फटकर पश्चिमी ओर चलकर भूमि खसरा संख्या 1285 किस्म गैरमुमकिन बर्डा (सिवायचक) में होकर प्रार्थी खसरा संख्या 5089 / 1286 में पहुंचता है यह रास्ता सैकडो वर्षो से चला आ रहा है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट ''अ'' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह रास्ता 10 फीट चौडा है जो सकडा पडता है। आवागमन व कृषि यंत्र लाने ले जाने में भारी परेशानी होती है इस कारण रास्ते को 30 फीट चौडा किया जाना चाहिए। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुंचने का नही है। प्रार्थी को इस रास्ते पर होकर अपने खातेदारी भूमि में आवागमन करने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य कृषि भूमि यंत्र लाने ले जाने, रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार व सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। परिशिष्ट 'अ'' को प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखो में नही दर्शाया गया है इस कारण आये दिन कोई न कोई प्रार्थी को परेशान करने लग जाता है प्रार्थी बमुश्किल रास्ता बनाये हुए है इस रास्ते को नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

तहसीलदार नैनवां की रास्ता रिपोर्ट दिनांक 20.12.2024 के मुताबिक प्रार्थी जगदीश पुत्र रामधन जाति बैरवां द्वारा ग्राम दुगारी के खसरा संख्या 5089 / 1286 में पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1285 में से होकर 30 फीट रास्ता चाहा गया है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा में दर्ज नही है। यह कि प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 5089 / 1286 तथा नैनवां–बून्दी रोड खसरा संख्या 1260 के बीच खसरा संख्या 1285 सिवायचक बर्डा है जिसमें से रास्ता चाहा गया है। जो निम्नानुसार है–

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	खातेदार	किस्म	लम्बाई x चौडाई	क्षेत्रफल
1285	सिवायचक	गै0मु0 बर्डा	26.4 x 30 वर्ग फीट	792 वर्ग फीट अर्थात 0.0074 हैक्टयर

यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए उक्त चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त कोई समीपस्थ रास्ता उपलब्ध नही है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

...ार किया जाता है। अतः ग्राम दुगारी के खसरा संख्या 5089/1286 में पहुंचने हेतु खसरा ...ख्या 1285 में से 26.4 X 30 वर्ग फीट भूमि प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–"क" ...ाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

तहसील : नैनवा

ग्राम : दुगारी

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 18/12/2024 04:28:00 PM

भू. अ. नि. क्षेत्र : बांसी

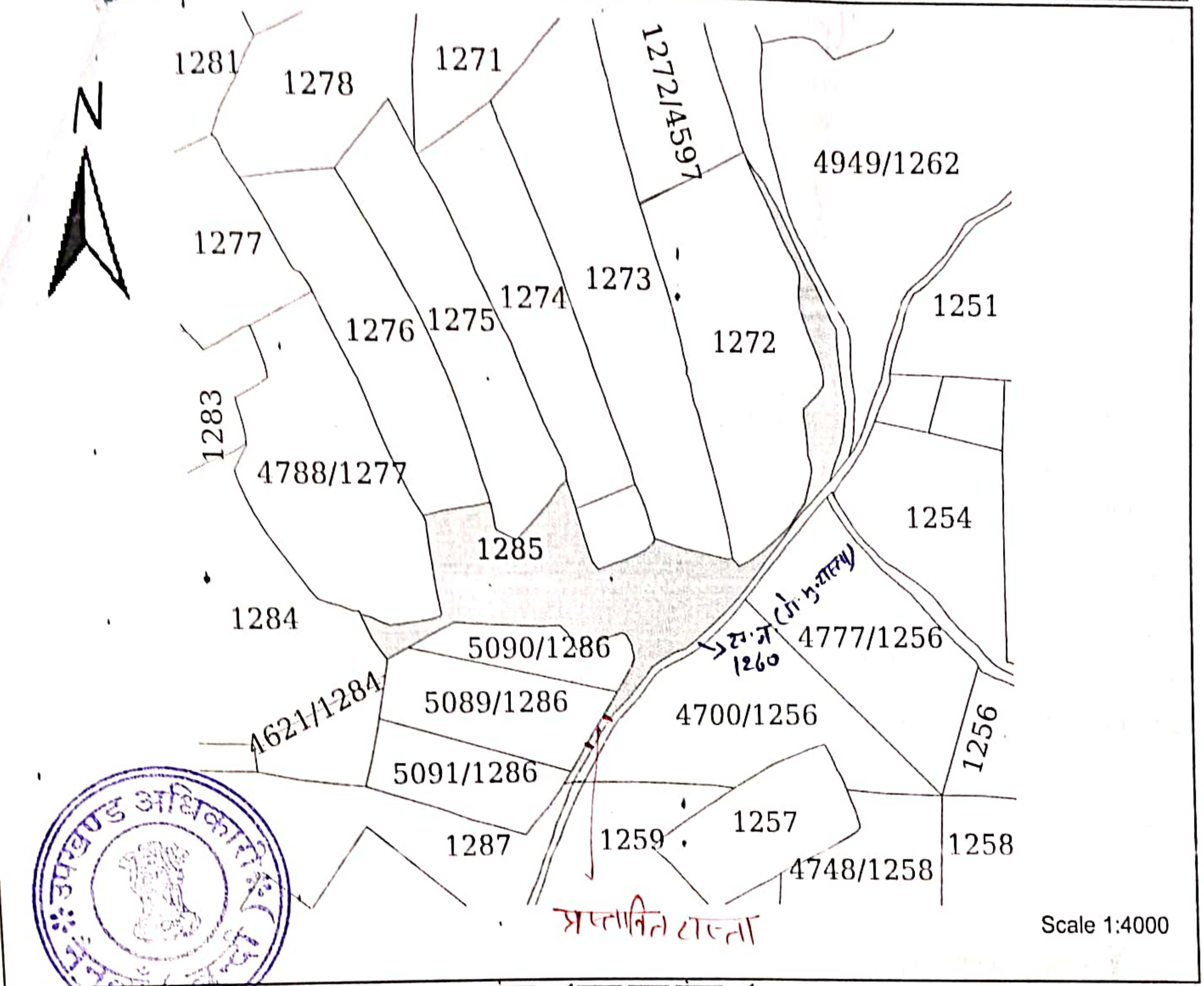

खसरा संख्या : 1285 क्षेत्रफल : 1.6665 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गे.मु.बर्डा [1.6665]

राज. सरकार

दीपक कुमार शर्मा
पटवारी
प० म० दुगारी
तह० नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।